भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 121

गुरूवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

होटल उद्योग का विस्तार

121 श्री संजय सेठ:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजन हेतु होटल अवसंरचना में वर्तमान में हो रही वृद्धि का किस प्रकार लाभ उठाया जा रहा है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि होटलों का विस्तार क्षेत्रीय सांस्कृतिक और पारिस्थितिक स्थिरता का संपूरक हो;

(ग) इन गतिविधियों से पर्यटन क्षेत्र में सृजित होने वाली नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रमों को किस प्रकार एकीकृत किया जा रहा है;

(घ) तेजी से बढ़ते आतिथ्य क्षेत्र में उचित वेतन और श्रम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या होटल क्षमता में विस्तार से मध्यम वर्ग के घरेलू पर्यटकों के लिए इनकी वहनीयता और उपलब्धता में वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्री संजय सेठ द्वारा होटल उद्योग का विस्तार के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 121 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (ड.): भारत के आतिथ्य क्षेत्र में होटल अवसंरचना का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिसमें टियर-2 और टियर-3 के शहर शामिल हैं। यह वृद्धि बढ़ते घरेलू पर्यटन, बेहतर संपर्कता, विकेंद्रीकृत आर्थिक विकास और निवेशकों के बढ़ते विश्वास के कारण हुई है। यह क्षेत्र स्थानीय रोज़गार सृजन और आतिथ्य सेवा श्रृंखला में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। आतिथ्य क्षेत्र खाद्य आपूर्ति, परिवहन, हाउसकीपिंग, सुरक्षा और स्थानीय शिल्प आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सहायक रोज़गार में भी मदद करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने "सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)" नामक अपनी योजना के अंतर्गत पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में हुनर से रोज़गार तक (कौशल), कौशल परीक्षण और प्रमाणन (पुनः कौशल), उद्यमिता कार्यक्रम (कौशल उन्नयन), भाषाई पर्यटक सुविधाप्रदाता, अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता पाठ्यक्रम (आईआईटीएफसी) आदि जैसे विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करके रोज़गारपरक कार्यबल तैयार करने के अपने प्रयासों को और बढ़ा दिया है। इस योजना में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण, उन्नयन, जागरूकता और कार्यनीतिक रूप से रोज़गारपरक बनाकर टियर-2 और टियर-3 के शहरों सहित देश भर में होटल अवसंरचना में चल रही वृद्धि को संपूरित किया गया है। ये प्रशिक्षण केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, खाद्य शिल्प संस्थान, राज्य सरकार और उनके पर्यटन बोर्ड तथा अन्य सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

होटल अवसंरचना के विस्तार से स्थानीय समुदायों के लिए भी हाउसकीपिंग, खाद्य एवं पेय, रसोई, फ्रंट ऑफिस जैसे होटल के विभिन्न विभागों में और अन्य सहायक कर्मचारी के रूप में रोज़गार के अवसर सृजित होते हैं। पर्यटन से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का परिमाणन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रयुक्त पर्यटन सेटेलाइट अकाउंट (टीएसए) नामक लेखा पद्धति के अनुसार भारत में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने वर्ष 2023-24 में 84.63 मिलियन (प्रत्यक्ष+अप्रत्यक्ष) रोज़गार सृजित किए हैं। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद और रोज़गार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान निम्नानुसार है:

	2021-22	2022-23*	2023-24(अ)
सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन की हिस्सेदारी (%)	1.75	5.09	5.22
रोजगार में पर्यटन की हिस्सेदारी (%)	12.66	12.57	13.34

*: संशोधित अनुमान

अ: अनंतिम

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2025 और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) पर आधारित अनंतिम अनुमान

मंत्रालय निम्नलिखित उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि पर्यटन अवसंरचना, वहनीयता के अनुरूप हो:

i) होटल वर्गीकरण की स्वैच्छिक योजना के माध्यम से, होटलों के लिए पर्यावरण अनुकूल मानकों जैसे सीवेज उपचार, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा दक्ष तकनीकों के उपयोग को लागू करना अनिवार्य है। मंत्रालय ने इको पर्यटन राष्ट्रीय कार्यनीति भी तैयार की है जो पर्यटन उद्योग जगत को स्थानीय वास्तुकला शैलियों के एकीकरण करने, विरासत के संरक्षण और विशेष रूप से हेरिटेज होटलों तथा ग्रामीण होमस्टे के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करती है।
ii) इको पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के तहत ऑपरेटरों को विशेष रूप से हेरिटेज होटलों और ग्रामीण होमस्टे के लिए स्थानीय वास्तुकला शैलियों और पर्यावरण अनुकूल सामग्री को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
iii) इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण क्लस्टरों में उच्च पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मानदंडों को बढ़ावा देने हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव और सर्वश्रेष्ठ होमस्टे को ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार प्रदान करता है।
iv) पर्यटन मंत्रालय आतिथ्य क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता के मानक को बढ़ावा देने के लिए पेयजय एवं स्वच्छता विभाग के साथ भी मिल कर उनके स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम (एसजीएलआर) के लिए कार्य कर रहा है।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण सरकार की रोजगार-केंद्रित रणनीति का अभिन्न अंग हैं और इन्हें निम्नलिखित तरीकों से संचालित किया जाता है:-

i) पर्यटन मंत्रालय अपनी सीबीएसपी योजना के तहत युवाओं को बुनियादी आतिथ्य, पाक कला कौशल, स्वच्छता और ग्राहक प्रबंधन, खाद्य उत्पादन, खाद्य एवं पेय सेवा, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस संचालन आदि में प्रशिक्षण देता है।
ii) पर्यटन मंत्रालय, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसे राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के तहत आतिथ्य से संबंधित व्यवसायों को एकीकृत करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ मिलकर काम कर रहा है।
iii) आईएचएम के माध्यम से, संरचित डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग में 85% से अधिक प्लेसमेंट होते हैं। इसके अलावा, आईआईटीएफसी कार्यक्रम, बुनियादी, विरासत और उन्नत मॉड्यूल में ऑनलाइन सेल्फ-पेस्ड सर्टिफिकेशन भी प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागियों को शुल्क में 50% से अधिक की छूट दी जाती

है। नीति आयोग द्वारा समय-समय पर चिह्नित आकांक्षी जिलों के निवासियों को कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क पर पूर्ण छूट प्रदान की जाती है।

iv) आईआईटीटीएम के तहत एनआईडब्ल्यूएस (राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, गोवा) के माध्यम से साहसिक कौशल प्रदान किया जाता है, जो राफ्टिंग, कयाकिंग, स्कूबा और अन्य जल-आधारित गतिविधियों में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

आतिथ्य क्षेत्र सहित उद्योग जगत में उचित मजदूरी और श्रम मानक सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संहिता 2019, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 आदि जैसे पर्याप्त नियामक फ्रेमवर्क मौजूद हैं। इन नियामक प्रावधानों को सरकार द्वारा लागू किया जाता है और नियमित निरीक्षणों एवं जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से इनका अनुपालन किया जाता है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आतिथ्य उद्योग से जुड़े व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत नियम जारी किए हैं। साथ ही, पर्यटन मंत्रालय निम्नलिखित उपायों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करता है:

i) वर्गीकरण के इच्छुक होटलों के लिए न्यूनतम परिचालन और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से उचित कार्यदशाएं सुनिश्चित करते हैं।

ii) सीबीएसपी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कार्यस्थल संबंधी नैतिकता, स्वच्छता और कर्मचारी के अधिकारों को शामिल करना।

विशेष रूप से बजट और मध्यम श्रेणी के क्षेत्रों और होमस्टे इकाइयों में आवास आपूर्ति में विस्तार से घरेलू पर्यटकों के लिए इनकी वहनीयता में सुधार हुआ है। पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन, तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) आदि जैसे पहलों से अल्प ज्ञात लेकिन उच्च क्षमता वाले स्थलों में विकास संभव हो पाया है जिससे यात्रा और आवास की लागत में कमी आयी है। अतुल्य भारत ऐप और देखो अपना देश अभियान यात्रियों को किफायती और सत्यापित आवास विकल्प खोजने में सहायता करते हैं।

*****